

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद सोनभद्र
दिनांक-13.05.2025

थाना ओबरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घण्टे के भीतर चोरी से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्त व 06 नफर अभियुक्ता (कुल 08 नफर अभियुक्तगण) को किया गया गिरफ्तार कब्जे से चोरी का समान, 16 अदद बिजली के बड़े मोटर व उनके पार्ट्स तथा घटना में प्रयुक्त 02 अदद टैम्पो (अनुमानित कीमत- 20 लाख) बरामद-

प्रकरण- दिनांक 12.05.2025 को थाना ओबरा पर आगन्तुक कन्हैया चौहान पुत्र नन्हकु चौहान ग्राम बिल्ली मारकुण्डी गजराजनगर थाना ओबरा जनपद सोनभद्र द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी दुकान जो करीब 08 माह से बन्द थी दिनांक 05.05.2025 को सुबह उनके द्वारा दुकान पर जाकर देखा गया तो दुकान के अन्दर का सटर तोड़कर दुकान के अन्दर रखी हुयी काफी मात्रा में मोटर व अन्य पार्ट्स अज्ञात चोरो द्वारा चुरा लिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 -105/2025 धारा 305, 331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया जिसपर चोरी का शीघ्र अनावरण व चोरी में संलिप्त आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र महोदय श्री अशोक कुमार मीणा द्वारा विशेष दिशा- निर्देश दिया गया।

उक्त निर्देश के क्रम में जनपद में चलाये जा रहे चोरी पर अंकुश लगाने जाने वाले अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय महोदय, श्री कालू सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी ओबरा महोदय, श्री हर्ष पाण्डेय के निकट पर्वेक्षण व प्रभारी निरीक्षक ओबरा श्री राजेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना ओबरा पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर समय सुबह 07.30 बजे शारदा मंदिर यादव बस्ती के पास थाना ओबरा सोनभद्र से मु0अ0सं0-105/2025 धारा 305, 331(4) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकरण में कुल 08 नफर अभियुक्तगण 1.इस्तेखार खां पुत्र जलालुद्दीन निवासी भलुआ टोला थाना ओबरा सोनभद्र 2.राहुल सोनकर पुत्र हीरालाल सोनकर निवासी सेक्टर 05 मालिन बस्ती थाना ओबरा सोनभद्र 3. रबिया बीबी पत्नी इस्तेखार खां भलुआ टोला थाना ओबरा सोनभद्र 4 .रीता देवी उर्फ लहरी पत्नी रामसूरत निवासी फफराकुण्ड ओबरा हाल पता- भलुआ टोला थाना ओबरा सोनभद्र 5.सुदामी देवी पत्नी उपेन्द्र धरिकार 6.सविता देवी पत्नी मोटू धरिकार 7.बिन्दु देवी पत्नी दिलीप पटेल 8. आरती देवी पत्नी छोटू धरिकार समस्त निवासीगण भलुआ टोला थाना ओबरा जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 16 अदद बिजली के मोटर्स व उनके पार्ट्स व घटना में प्रयुक्त 02 अदद टैम्पो टैम्पो नं0- UP64AT-9876 व UP65JT 0559 (अनुमानित कीमत कुल 20 लाख रुपये) बरामद कर गिरफ्तार किया गया उक्त गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पर धारा, 317(2) की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.इस्तेखार खां पुत्र जलालुद्दीन निवासी भलुआ टोला थाना ओबरा सोनभद्र उम्र लगभग 38 वर्ष।

2. राहुल सोनकर पुत्र हीरालाल सोनकर निवासी सेक्टर 05 मालिन बस्ती थाना ओबरा सोनभद्र उम्र लगभग 22 वर्ष।
3. रबिया बीबी पत्नी इस्तेखार खां भलुआ टोला थाना ओबरा सोनभद्र उम्र लगभग 35 वर्ष।
4. रीता देवी उर्फ लहरी पत्नी रामसूरत निवासी फफराकुण्ड ओबरा हाल पता –भलुआ टोला थाना ओबरा सोनभद्र उम्र लगभग 30 वर्ष।
5. सुदामी देवी पत्नी उपेन्द्र धरि कार निवासिनी भलुआ टोला थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 45 वर्ष।
6. सविता देवी पत्नी मोटू धरि कार निवासिनी भलुआ टोला थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 25 वर्ष।
7. बिन्दु देवी पत्नी दिलीप पटेल निवासिनी भलुआ टोला थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 25 वर्ष।
8. आरती देवी पत्नी छोटू धरि कार निवासिनी भलुआ टोला थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 30 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1. राजन कबाड़ व्यवसायी निवासी राममंदिर कालोनी थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
2. कमरू निशा पत्नी स्व० कलीम निवासी भलुआ टोला थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
3. सुनीता पत्नी नरेश पनिका निवासी भलुआ टोला थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
4. सुनीता पत्नी राजू धरिका निवासी भलुआ टोला थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
5. खुशी देवी पत्नी अनिल धरिका निवासी भलुआ टोला थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
6. फूलमती पत्नी सूरज धरिका समस्त निवासी भलुआ टोला थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से 16 अदद बिजली की बड़ी मोटर व उनके पार्ट्स व 02 अदद टैम्पो नं०-UP64AT-9876 व UP65JT 0559 (अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये) बरामद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ०नि० रामसिंह यादव थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
2. उ०नि० रामलोचन उ०नि० थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
3. राजेश दुबे थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
4. हे०का० नीरज राय, थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
5. हे०का० राधेगोबिन्द, थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
6. हे०का० रवीन्द्र यादव, थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
7. म०का० रंजना यादव, थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
8. म०का० सुनीला पटेल थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।